



## कलेक्टरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसरों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों का मतगणना संबंधी प्रशिक्षण



### निगम ने कचरा फेंकने वालों से अभियान चलाकर 5000 रु. जुमाना वसूला

रायपुर, 07 दिसंबर। नगर निगम रायपुर के आयुक्त नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के आदेशानुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारियों के अंतर्गत जोन 4 नगर निवेश एवं स्वास्थ्य विभाग ने जोनकमिश्नर आरके डोंगरे के नेतृत्व एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी उमेश नामदेव, जोन उपअभियंता नगर निवेश शेखर सिंह, जोन स्वच्छता निरीक्षक यशवंत बेरिहानी की उपस्थिति में जोन 4 क्षेत्र के व्यवसायिक व आवासीय क्षेत्रों में नाली सड़क, खाली भूखण्डों में कचरा डालने व फेंकने वाले लोगों व व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 5000 रु. जुमाना रसीद काटकर वसूला। वहीं जोन 4 क्षेत्र के खाली भूखण्डों, सड़कों व तालाबों के किनारों में विषेण अभियान चलाकर आज जोन 4 स्वास्थ्य विभाग अमले के सफाई मित्रों की सहायता से जोन के तहत विभिन्न बाजार क्षेत्रों में लगभग 84 बोरी पॉलीथीन कचरा एकत्र कर उठवाया गया एवं स्वच्छता कायम की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारियों हेतु उक्त अभियान आगे भी जोन 4 क्षेत्र में निरंतर जारी रहेगा।

### जनसंपर्क एवं जिला सत्र न्यायालय में रिक्त पदों के लिए 16 को होगी परीक्षा

रायपुर, 07 दिसंबर। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 की लिखित परीक्षा 16 दिसंबर को प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से पूर्वान्ह 12.15 बजे तक एवं द्वितीय पाली में जनसंपर्क संचालनालय छ.ग. रायपुर के अंतर्गत सूचना सहायक ग्रेड-1 एवं सहायक ग्रेड-2 की लिखित परीक्षा पूर्वान्ह 2 बजे से दोपहर 5.15 बजे तक निर्धारित 5 परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगी। परीक्षा शहीद संजय यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला संजय नगर, वर्धमान द स्कूल नहर रोड कृष्णा नगर संतोषी नगर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डब्ल्यू आर.एस. कालोनी, सरस्वती नगर निगम उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बिजली ऑफिस के बाजू फूल चौक नयापारा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमलीडीह को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पूनम शर्मा को नोडल अधिकारी तथा सहायक संचालक अधिकारी पी. एल. नायक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

### अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी

रायपुर-07 दिसम्बर। द.पू.म.रेलवे रायपुर मंडल द्वारा संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रस्ट्रक्चर) शिवशंकर लकड़, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) अमिताव चौधरी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एशोसियेशन के जोनल अध्यक्ष बी. सी. मल्लिक एवं मंडल कार्मिक अधिकारी (समन्वय) प्रदीप मिश्रा, सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा उन्हे श्रद्धांजलि स्वरूप श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर कार्मिक विभाग द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में आयोजित एक सारे समारोह में सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर व भगवान बुद्ध के चित्रों पर श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित किये एवं रोशनी प्रज्वलित कि गई। इस अवसर पर बुद्ध वंदना भी कि गई तथा उपस्थित सभी कर्मचारीगण के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने कहा कि डॉ. बाबा साहेब ने विशेष रूप से शिक्षा को महत्व देने की बात कही डॉ. बाबा साहेब ने ऐसा संविधान बनाया है जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति अधून के आधार पर सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जीवन एवं समाज के प्रत्येक पक्ष को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जिसका सुखद परिणाम आज एक विशाल एवं सुसंगठित गणतंत्र के रूप में देख रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एशोसियेशन के डिविजनल वर्किंग प्रिंसिपल भोली चौधरी, दुपुर्ने मजदूर कांग्रेस यूनिशन से उमाकांत, दुपुर्नेओबीसी यूनिशन से प्रसाद राव ने भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला।

### प्रधान पाठक से 5 हजार की रिश्तत : लिपिक चढ़ा एसीबी के हथ्थे

रायपुर, 07 दिसंबर। एक प्रधान पाठक के पाठ फाइल की रकम देने के एवज में 5 हजार की रिश्तत लेने वाले आरोपी लिपिक को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी युगल किशोर साहू प्राथमिक शाला लाटा बेरला जिला बेमेतरा में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हैं। प्रार्थी ने अपने पुत्र के विवाह के लिए 4 लाख रूपए पाठ फाइल से निकालने के लिए आवेदन किया था। इस काम के लिए प्रार्थी ने आरोपी पवन कुमार साहू, सहायक श्रेणी-2, कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी, बेरला, जिला बेमेतरा से सम्पर्क किया तो उक्त लिपिक ने 3 प्रतिशत के हिसाब से कुल 12,000 रु0 रिश्तत की मांग की। प्रार्थी द्वारा निवेदन करने पर 10,000 रूपए रिश्तत लेने को तैयार हो गया और इसकी पहली किश्त 5,000 रु0 लेकर प्रार्थी आज बेरला स्थित कार्यालय में पहुंचा। यहां उन्होंने जैसे ही रिश्तत की रकम आरोपी को दिया, एसीबी ने आरोपी लिपिक को रोहदाय धरदंबोचा। रिश्तती धनराशि बरामद कर जप्त की गई। आरोपी पवन कुमार साहू, सहायक श्रेणी-2, कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी, बेरला, जिला बेमेतरा को के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा रहा है।

## दूसरे की जमीन को अपना बताकर लाखों की धोखाधड़ी

रायपुर, 07 दिसंबर। दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने के लिये ईकरारनामा तैयार कर 35 लाख रुपये नगदी लेकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट सिविल लाईन थाने में दर्ज कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर अपराध दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बाबी लूकस 46 वर्ष पिता एस.लूकन निवासी न्यू शांतिनगर सिविल लाईन ने 5 दिसंबर 2018 रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 16जुलाई 2012 से अब तक न्यायालय परिसर नोदरी कक्ष में सुनंद विश्वास उर्फ टीरू पिता सत्य विश्वास ज्योति निवासी राजातलाब सिविल लाईन एवं करुणा भट्टाचार्य उर्फ बापी पिता एस.के.भट्टाचार्य निवासी डेवर स्टील सिटी कोतवाली ने ग्राम तरा प.ह.न

15 पाटन दुर्ग का खसरा नं. 494/2, 494/3, 494/4, 487/3 कुल 2.94 एकड़ भूमि को अपना बताकर प्रार्थी के पास बिक्री करने का सीदा कर ईकरारनामा तैयार कर 35 लाख रुपये लेने के बाद बेचने से इंकार कर धोखाधड़ी किया। धोखाधड़ी के

### कांग्रेस न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें - नरेश

रायपुर, 07 दिसंबर। भाजपा चुनाव विधे सेल प्रभारी नरेश गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगाने पर प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायालय गई है यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है इस पर हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन उच्च न्यायालय में जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद कर देना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। श्री गुप्ता ने कहा कि कुछ समय पहले जनहित में दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया और बलैट पेपर से नही ईवीएम मशीन से ही चुनाव जारी रहेंगे तय हुआ। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायालय गई है जिसका स्वागत है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपना बेसुरा राग बंद कर दें और न्यायालय की व्यवस्था का इंतजार करें जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेसी बयानबाजी से मुक्ति मिले।



रायपुर। ठंड आते ही बच्चों और बड़ों के लिए गर्म कपड़ों का बाजार सजा।

## गरीब गर्भवती महिलाओं को प्राध्यापकों द्वारा गोद लेकर पौष्टिक आहार दिया जाए- राज्यपाल

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में गर्भवती 'संगीत के प्रभाव' का किये जा रहे प्रयोग

राज्यपाल को कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने दी जानकारी

## 11 को होगा कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ : भाजपा

कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी और धर्मकियों पर शिवरतन का तीखा वार

रायपुर, 07 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी पर तीखा हमला कर कहा है कि कांग्रेस नेता चुनवा नतीजे आने से पहले ही होश खो बैठे हैं और धमकी भरी भाषा बोलकर खुद को अलोकतांत्रिक साबित कर रहे हैं। भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह

विश्वविद्यालय का समाज में योगदान की अवधारणा को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत खैरागढ़ के आंगनबाड़ियों से गर्भवती महिलाओं को आमंत्रित किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के संगीत सुनाए जा रहे हैं। श्रीमती सिंह ने बताया कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वे महिलाएं निरंतर संगीत सुनने के पश्चात् अच्छा महसूस कर रही हैं और साथ ही कुछ महिलाओं ने संगीत में रूचि दिखाते हुए एप्रैक्सिज को इच्छा भी व्यक्त की है। इनसे आए परिणामों का विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और भविष्य में भी शोध करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा किया

जा रहा यह प्रयोग सराहनीय है। इसके निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और विश्वविद्यालय समाज के प्रति अधिक से अधिक योगदान दे सकेगा। ऐसे प्रयास निरंतर किये जाते रहना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कुलपति को सुझाव दिया कि संगीत विश्वविद्यालय में संगीत सुनने आने वाली गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिल सके इस दिशा में भी विश्वविद्यालय को प्रयास करना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गरीब गर्भवती महिलाओं को गोद लेकर उन्हें समय-समय पर फल तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। कुलपति श्रीमती सिंह ने राज्यपाल के सुझाव पर आवश्यक पहल करने की बात कही।



रायपुर। धान आवक के बाद मंडियों में किसानों की बड़ी भीड़।

## कमिश्नर ने धान उपार्जन केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

नियमित रूप धान का उठाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

रायपुर, 07 दिसम्बर। रायपुर संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने यहां रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के रीवा, भानसोज और गुहू धान उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर वहां समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी कार्य का जायजा लिया। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों से समय पर धान का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश समिति प्रबंधकों और विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। श्री चुरेन्द्र ने कहा कि धान के उठाव के लिए नियमित रूप से डीओ और आरओ को काटा जाए ताकि किसी भी हालात में धान उपार्जन केन्द्रों में धान जमा न होने पाए। उन्होंने कहा कि अधिक मात्रा में धान जमा होने से खरीदी प्रभावित होती है इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संभागायुक्त श्री चुरेन्द्र ने इस अवसर उपार्जन केन्द्र में उपस्थित किसानों से चर्चा कर खरीदी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि धान खरीदी केन्द्रों से सीधे राईस मिलों में जाए और वहां उपलब्ध भण्डारण क्षमता अनुरूप धान का संग्रहण कराया जाए और उसी के

अनुरूप कस्टम मिलिंग से प्राप्त चावल का उठाव नियमित रूप से हो ताकि धान उपार्जन केन्द्रों में ज्यादा धान जमा न हो सके। बाहर से आने वाले धान की धरपकड़ के लिए विशेष चौकसी बरती जाए और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए अतिरिक्त अधिकारी-कर्मचारियों की डिप्टी लगायी जाए। चुरेन्द्र ने कहा है कि दूसरे की जग्हा पुस्तिका में कोई दूसरा धान न बेच पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे प्रकरणों पर जांच टीम को मौके पर भेजकर उसका सत्यापन और पंचनामा भी तैयार कराया जाए। गंभीर शिकायत मिलने पर उसकी जांच होने तक धान खरीदी भुगतान को लंबित रखा जाए। कोचियों और अनिमितता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी जो मंडी लायसेंस होने के आधार पर धान खरीदते हैं उनके स्टॉक की हर सप्ताह जांच कर बी-1 पंजी में स्टॉक की एंट्री कराया जाए और वह सीधे राईस मिलर के वहां धान बेचे या उसके मंडी प्रांगण में बिक्री की व्यवस्था की जाए। कमिश्नर ने कहा कि ऐसे व्यापारी और कोचिया जो बिना मंडी लायसेंस के धान खरीद रहे हैं उनके कारोबार को अवैध मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। धान खरीदी कार्य से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालयों में रहे यह सुनिश्चित किया जाए।